रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14022020-216159
CG-DL-E-14022020-216159

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2020/माघ 24, 1941
No. 93] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2020/MAGHA 24, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2020

सा.का.नि. 111(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम) संशोधन नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम) नियम, 2014 (इसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 2 में,-

(i) "विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड तथा साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के लिए दोनों स्थानों पर जहां वो आए हैं, "निक्षेपागार प्राप्ति स्कीम, 2014" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उप-नियम (1) में, उपबंध (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(कक) "विदेशी निक्षेपागार" या "विदेशी निक्षेपागार बैंक" का अभिप्राय 'विदेशी निक्षेपागार' होगा, जैसा कि स्कीम में परिभाषित है'।

3. उक्त नियमों के, नियम 5 में, -

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) निक्षेपागार प्राप्तियां सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से या निजी प्लेसमेंट या संबंधित अधिकारिता में प्रचलित किसी अन्य रीति से जारी की जा सकती हैं और संबंधित अधिकारिता में सूचीबद्ध करते हुए या व्यापारिक प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध या व्यापार किया जा सकेगा।";

(ii) उप-नियम (3) में, शब्दों "विदेश में" का विलोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों के, नियम 7 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के प्रतिफल किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बैंकिंग यूनिट (आईबीयू) में प्रेषित किए जा सकेंगे और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार उपयोग किए जा सकेंगे"।

5. उक्त नियमों के, नियम 9 के, उप-नियम (1) में, शब्दों "विदेश में" का विलोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1/21/2013-सीएल-V (भाग)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि . 252(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2020

G.S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by section 41 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Companies (Issue of Global Depository Receipts) Rules, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Issue of Global Depository Receipts) Amendment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Issue of Global Depository Receipts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,-

(i) for the words, brackets and figures "Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993" at both the places where they occur, the words and figures "Depository Receipts Scheme, 2014" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

'(aa) ''overseas depository" or "overseas depository bank" shall mean 'foreign depository' as defined in the Scheme.'.

3. In the said rules, in rule 5,-

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The depository receipts can be issued by way of public offering or private placement or in any other manner prevalent in the concerned jurisdiction and may be listed or traded on the listing or trading platform in the concerned jurisdiction.";

(ii) in sub-rule (3), the word "abroad" shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 7, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that proceeds of issue of depository receipts may be remitted in an International Financial Services Centre Banking Unit (IBU) and utilised in accordance with the instructions issued by the Reserve Bank of India from time to time.".

5. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), the word "abroad" shall be omitted.

[F. No. 1/21/2013-CL-V-part]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 252(E), dated the 31st March, 2014.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.14 21:58:08 +05'30'